रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2004/फाल्गुन 5, 1925
No. 49] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2004/PHALGUNA 5, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(अनुसूचित जाति विकास प्रभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2004

सं. 17015/18/2003-एस.सी.डी.-VI.—सफाई कर्मचारियों और विशिष्टतया सफाई वालों की वैकल्पिक उपजीविका के लिए विकास संबंधी आवश्यकताएं और उनका पुनर्वास भारत सरकार के विचाराधीन रहा है।

2. और सरकार ने स्कीमों के आमेलन के पश्चात् हाथ से सफाई करने को पूर्णत: समाप्त करने और सफाई वालों के पुनर्वास में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना आरंभ की है और उसका यह सुविचारित अभिमत है कि लक्ष्य समूह के हित में यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को बने रहने दिया जाए क्योंकि आयोग को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक पुनर्वास को देखना है।

3. और संसद् विघटित हो गई है तथा आयोग को 29-2-2004 के पश्चात् कृत्य करने में समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 का और संशोधन करना संभव नहीं है।

4. अत:, अब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को 29-2-2004 से परे छह मास की अवधि, अर्थात् 31-8-2004 तक बनाए रखने का संकल्प किया है।

5. आयोग को सौंपे गए कार्य निम्नवत् हैं :—

(क) सफाई कर्मचारियों के लिए प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने के लिए कार्य योजना के अधीन कार्रवाई के विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना।

(ख) सफाई कर्मचारियों और विशिष्टतया सफाई वालों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन का अध्ययन और मूल्यांकन करना।

(ग) विनिर्दिष्ट शिकायतों का अन्वेषण करना और निम्नलिखित को कार्यान्वित न किए जाने से संबंधित विषयों की स्वप्रेरणा से अपेक्षा करना,—

(i) सफाई कर्मचारियों के किसी समूह की बाबत कार्यक्रम या स्कीमें;

(ii) सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए विनिश्चय; मार्गदर्शन या अनुदेश;

(iii) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उपाय;

(iv) सफाई कर्मचारियों को लागू किसी विधि के उपबंध,

और ऐसे विषयों को संबंधित प्राधिकारियों अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकारों के समक्ष उठाना;

(घ) सफाई कर्मचारियों द्वारा जिन कठिनाइयों या नियोगताओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए, सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी विषय पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को रिपोर्ट देना।

(ङ) कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।

5. आयोग, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी, संगठन से ऐसी जानकारी अभिप्राप्त कर सकेगा जिसे वह अपने प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

6. आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपयुक्त विशेषज्ञता वाले पांच अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।

7. आयोग कार्यकरण में अपनी प्रक्रिया अपनाएगा और भारत के किसी भाग में जब भी आवश्यक समझे, जा सकेगा।

8. आयोग अपनी रिपोर्ट छह मास की अवधि के भीतर अर्थात् 31 अगस्त, 2004 को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।

पी. नारायण मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

(Scheduled Castes Development Division)

RESOLUTION

New Delhi the 24th February, 2004

No. 17015/18/2003-SCD-VI.—Whereas the Government of India has been seized of the developmental needs and rehabilitation of the Safai Karamcharis and Scavengers in particular, in alternate occupations.

2. And whereas the Government has launched a National Action Plan for the total eradication of manual scavenging after amalgamation of schemes and speeding up the rehabilitation of scavengers, are of the considered view that the continuation of the National Commission for Safai Karamcharis is necessary in the interest of the target group as the Commission is required to oversee the economic, social and educational rehabilitation.

3. And whereas Parliament has been dissolved and it is not possible to further amend the National Commission for Safai Karamcharis' Act, 1993 to enable the Commission to function after 29-2-2004.

4. Now, therefore, the Government of India has resolved to continue the National Commission for Safai Karamcharis for a period of six months beyond 29-2-2004 i.e. upto 31-8-2004.

5. The terms of reference of the Commission are given below:—

(a) Recommend to the Central Government a specific programme of action towards elimination of inequalities in a status, facilities and opportunities for Safai Karamcharis.

(b) Study and evaluate the implementation of the programmes and schemes relating to the social and economic rehabilitation of Safai Karamcharis and Scavengers particular.

(c) Investigate specific grievances and to take suo-moto notice of matters relating to non-implementation of:—

(i) programmes or schemes in respect of any group of Safai Karamcharis;

(ii) decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating the hardship of Safai Karamcharis;

(iii) the measures for social and economic upliftment of Safai Karamcharis;

(iv) the provisions of any law in its application to Safai Karamcharis; and take up such matters concerned authorities or with the Central or State Government.

(d) Make reports to the Central and State Governments on any matter concerning Safai Karamcharis, taking into account any difficulties or disabilities being encountered by Safai Karamcharis.

(e) Any other matter, which may be referred to it by the Central Government.

5. The Commission may obtain such information as considered necessary or expedient for its purpose from the Central Government or any State Government or any authority, organization.

6. The Commission shall consist of a Chairman, Vice-Chairman and five other Members with suitable expertise.

7. The Commission will adopt its own procedure of working and may visit any part of India as and when considered necessary.

8. The Commission shall submit its report within a period of six months i.e. on or before 31st August, 2004.

P.N. MURTHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.